

12/11/2022

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत (चतुर्थ) वर्ष 2022 में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा/आपसी सहमति नहीं होने के कारण राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो सका। अतः पत्रावली दिनांक 26.12.2022 को पूर्वानुसार पेश हो।

(ओम प्रभा)  
अतिरिक्त निबन्धक (न्याय)  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर

एकल-पीठ  
श्री रवि जंगी, सरस

26/11/2022

~~पत्रावली~~ पत्रावली के बार-बार आवेजें लगाई गईं, बावजूद स्थगना उपलब्ध नहीं। अतः उच्च अपील को अदम एजगी, अदम पत्रावली में खारीज की जाती है। पत्रावली फिलहाल अगले दोहरा नंबर से कम है।

आदेश सुनाने जग।

सदस्य  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर